

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228543
SG-DL-E-28072021-228543असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 101
No. 203]	DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SHRAVANA 5, 1943	[N. C. T. D. No. 101

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय प्रधान सचिव (राजस्व)—सह—मंडलीय आयुक्त

(राजस्व विभाग)

(अल्पसंख्यक शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

एफ सं. 1(468)/99/जीए/स्था./डीसी/पार्ट फाइल/1534-1550.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अगस्त 1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 572(अ) के साथ पठित वक्फ अधिनियम 1995 (1995 का 43) के धारा 83 की उपधारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा वक्फ या वक्फ सम्पत्ति, किरायेदार की बेदखली या निर्धारण या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति के पट्टादाता के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित किसी विवाद के निर्धारण के लिए उक्त अधिसूचना की तिथि से श्री फैंजी ओ हा"मी के स्थान पर डॉ. सलमान असद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए दिल्ली वक्फ न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उसने नाम पर,
अनिल सिरोही, उप सचिव (राजस्व)

OFFICE OF THE PR. SECRETARY (REVENUE)-CUM-DIVISIONAL COMMISSIONER
(Revenue Department)
(MINORITY AFFAIRS BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th July, 2021

F. No. 1(468)/99/GA/Estt./DC/Pt.file/1534-1550.—In exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (4) of section 83 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995) read with Government of India, Ministry of Home Affairs' notification number S.O. 572 (E) dated the 19th August 1996, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Dr. Salman Asad in place of Sh. Faizi O Hashmi as member of the Delhi Waqf Tribunal for the National Capital Territory of Delhi for the determination of any dispute, question or other matter relating to a Waqf or Waqf property, eviction of a tenant or determination or rights and obligations of the lesser and the lessee of such property under the said Act with effect from the date of notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ANIL SIROHI, Dy. Secy. (Revenue)